

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक : एफ/विकास/2010/473

दिनांक 29. सित. 2010

प्रति,


1. प्राचार्य/प्राचार्या
जीवाजी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय,
2. विभागाध्यक्ष,
समस्त अध्ययनशालायें,
जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

विषय :- शिक्षकों की वरिष्ठता सूची 2011 का प्रकाशन।

महोदय/महोदया,


1. विश्वविद्यालय द्वारा परिचयित 19 के अंतर्गत शिक्षक वरिष्ठता सूची 2011 का प्रकाशन किया जाना है। वर्ष 2010 की वरिष्ठता सूची आपको पूर्व में भेजी गई है, जिसका कृपया अवलोकन करें। जिन शिक्षकों के नाम गतवर्ष की वरिष्ठता सूची में नहीं थे और जिनकी इस वर्ष नई नियुक्ति हुई है, या जिनका कैंडिडेट में परिवर्तन हुआ है अथवा जो स्थानांतरित होकर या अन्य किसी कारण से आपकी संस्था में वर्ष 2010 में पदस्थ हुये हैं। उनके नाम वरिष्ठता सूची वर्ष 2011 में जोड़ने के लिये संलग्न प्रपत्र पर प्रतिपूर्ति कर विवरण दिनांक 15.10.2010 तक इस कार्यालय को अग्रेषित करें।
2. संलग्न प्रपत्र पर दी गई जानकारी हेतु साक्ष्य भी संलग्न किये जावे। यदि किसी शिक्षक की नियुक्ति विश्वविद्यालयीन अध्यादेश 28(17) के अंतर्गत हुई है तो कार्यपरिषद् के अनुमोदन की प्रति अवश्य लगाये तभी सम्बंधित नाम वरिष्ठता सूची में शामिल किया जा सकेगा। यदि अधूरी जानकारी दी जायेगी तो वरिष्ठता सूची में नाम दर्ज नहीं किया जावेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी सम्बंधित की होगी। पूर्व में उक्त आशय की जानकारी यदि विश्वविद्यालय को भेजी गई हो, ऐसे प्रकरणों में भी पुनः जानकारी वरिष्ठता सूची में सम्मिलित हेतु भेजी जाना निवेदित है।
3. पूर्व वर्ष की वरिष्ठता सूची का क्रमांक अवश्य अंकित करें।
4. गत वर्ष की वरिष्ठता सूची में यदि आपकी संस्था के किसी शिक्षक के कैंडिडेट अथवा नाम में त्रुटि हुई है तो उसकी सूचना दें तथा शिक्षकों की तत् सम्बंधी आपत्तियों का सप्रमाण सत्यापन कर अग्रेषित करने की व्यवस्था करें।
5. उन शिक्षकों का विवरण भी साथ में भेजें जिनके नाम गत वर्ष की सूची में जुड़े हुये हैं और आपकी संस्था से स्थानांतरित हो चुके हैं, सेवाजिवित हो चुके हैं या अन्य किन्हीं कारणों से अब संस्था में नहीं है। इसके साथ ही वे शिक्षक जो कि अध्ययन मण्डल व संकायाध्यक्ष मनोनयन के क्रम में हो वे विशेष रूप से ध्यान दें और अपना नाम व श्रेणी को वरिष्ठता सूची में चैक कर लें। यदि कोई त्रुटि है तो सुधार हेतु आवेदन करें। जानकारी के अभाव में यदि उनका नाम उक्त स्थान पर आने से रह जाता है तो वे इसके लिये स्वयं उत्तरदायी होंगे।
6. शिक्षकों की जन्मतियि की जानकारी न होने पर वरिष्ठता सूची में नाम दर्ज नहीं किया जावेगा।
7. पत्र की एक प्रति सूचना पटल पर लगायें, जिससे किसी शिक्षक को आपत्ति न रहे।
8. उपरोक्त जानकारी समय पर प्राप्त न होने के कारण ज्येष्ठता सूची में यदि कोई त्रुटि या कमी रह जाती है तो उसके लिये प्राचार्य/सम्बन्धित शिक्षक स्वयं उत्तरदायी होंगे।

भवदीय


कुलसचिव

प्रतिलिपि :- अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, ग्वालियर चम्बल संभाग मोती महल परिसर, लश्कर (ग्वालियर)

2 श्री सैजय भरतरिया, पत्र को बंधखंड पर डालें।


उप-कुलसचिव (विकास)

APPLICATION FOR INCLUSION IN SENIORITY LIST OF
PRINCIPAL/PROFESSOR/READER/LECTURER

To,

The Registrar,
Jiwaji University,
Gwalior.

Sir,

I request that my name be included in the Seniority list of _____ (Designation) particulars of my service are as under:-

- (1) Name : _____
- (2) Date of Birth : _____
in words : _____
- (3) Subject Teaching : _____
- (4) Post held at present : _____
- (5) Date from which present post is held : _____
- (6) Scale of pay in the present post : _____
- (7) Academic Qualifications : _____
- (8) Teaching experience : _____
Degree Classes : _____ Years _____ Months
Postgraduate classes : _____ Years _____ Months
- (9) Teaching post held (Chronologically) prior to appointment to the present post : _____

Designation of post	Name of Institution in which pos. was held	Period		Scale of Pay
		From	To	

N.B. (1) A teacher in service under the Madhya Pradesh Govt. need not give the name of various colleges to which he was posted in any particular capacity.

(2) Change in the cadre (to Reader, Professor, Principal) together with the date of appointment in case and the pay scale should be clearly stated.

I declare that the particulars given are correct.

Signature of Applicant

Place :: _____

Full Name _____

Dated :: _____

Designation _____

College/teaching Department _____